राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी भोपाल–462016 (म.प्र.)

बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in

दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859

फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 738 / SEIAA/2022

Date: 10/6/22

प्रति,

मेसर्स तनिषा इन्फ्राकॉन प्रा.लि.,
पता डी–64, शालीग्राम –1 नियर सरोन पार्क,
सेटेलाईट रोड़, जिला अहमदाबाद (गुजरात)–380015

विषय :– प्रकरण क्र. 7245 / 2020 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स तनिषा इन्फ्राकॉन प्रा.लि., पता डी–64, शालीग्राम –1 नियर सरोन पार्क, सेटेलाईट रोड़, जिला अहमदाबाद (गुजरात)–380015 द्वारा लैटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 18.33 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 81,770 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1331, 1339, 1340, ग्राम – तरनोद तहसील–सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 726वी SEIAA बैठक दिनांक 25.05.2022 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया .....

" .... प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक / पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 569 वी बैठक दिनांक 06.05.2022 की अनुशंसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून के दृष्टिगत शासकीय विद्यालय तरनोद मे 120 पौधे रोपित कर एवं ग्राम पंचायत तरनोद में ग्रामवासियों को 7500 पौधों का वितरण वन विभाग के परामर्श से किये जाने तथा ग्राम पंचायत के परामर्श से वैकल्पिक मार्ग निर्मित कर 1 माह के अंदर प्रतिवेदन SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण में विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में कृपया शासकीय विद्यालय तरनोद मे 120 पौधे रोपित कर एवं ग्राम पंचायत तरनोद में ग्रामवासियों को 7500 पौधों का वितरण वन विभाग के परामर्श से किये जाने तथा ग्राम पंचायत के परामर्श से वैकल्पिक मार्ग निर्मित कर 1 माह के अंदर प्रतिवेदन SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करें, तदानुसार प्रकरण पर पुर्नविचार हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव